



निगा 71-II-15

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ~~दिल्ली~~ मद्रास गवर्नलियर

प्रकरण क्रमांक /2014-15 द्वितीय पुनरीक्षण

बन्नी पुत्र श्री मूलु निवासी ग्राम बबेडी तहसील व
जिला भिण्डम.प्र. ॥ ... निगरानी कर्ता

विस्तर

श्री. श्री. जी. व. कुमार श्रीवास्तव
द्वारा प्रस्तुत 13-1-15
राजस्व म. प्र. गवर्नलियर 13-1-15

- | | |
|----------------|--|
| 1. राकेश सिंह | पुत्रगण बडेलाल जाति ठाकुर |
| 2. ब्रजेश सिंह | निवासीगण ग्राम बबेडी तहसील व
जिला भिण्डम.प्र. ॥ |
| 3. जसंत | पुत्रगण छुटकाई |
| 4. मुन्नी | निवासीगण ग्राम बबेडी |
| 5. कंगल | |
| 6. रामेश्वर | तहसील व जिला भिण्डम.प्र. ॥ |

..... गैर निगरानी कर्तागण

6. रामनारायण मृत वदारा वारिसान :-
7. रानी बेबा रामनारायण
8. रोहित पुत्र रामनारायण उम्र 16 वर्ष नावालिगान
सरपरस्त माँ रानी बेबा रामनारायण
निवासीगण- ग्राम बबेडी तहसील व जिला भिण्ड

..... औपचारिक - गैर निगरानी कर्तागण

न्यायालय अपर कलेक्टर भिण्ड जिला भिण्ड वदारा प्रकरण क्रमांक
18/2010-N नि.मा. में पारित आदेश दिनांक 20.10.14
के विस्तर म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत
द्वितीय निगरानी पुनरीक्षण ॥

श्रीमान् जी,

प्रार्थी/निगरानी कर्ता निम्न निवेदन करता है :-



क्रमशः 2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-71-दो/15

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.12.18 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="text-align: left;">  </p>	